Online perposal no. FP/UP/Approach /144819/2021

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक– 4276 /मीरजापुर/15, /दिनांक जून 30 2023

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग,
मीरजापुर।

विषय– जनपद–मीरजापुर में निर्माण खण्ड–2 लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर द्वारा चुनार–जंगलमोहाल बड़ागॉव धौहा सम्पर्क मार्ग निर्माण से मीरजापुर वन प्रभाग के चुनार रेंज के अन्तर्गत ग्राम–जंगलमोहाल उत्तरी, तहसील–चुनार में प्रभावित 0.09 हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव संख्या–एफपी0/यू0पी0/अप्रोच/144819/2021)।

सन्दर्भ– 1– उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ का पत्रांक– पी–145/81–2–2023–800(171)/2023 दिनांक 27.06.2023 ।

2– कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–4069/11–सी,FP/UP/Approach/144819/2021 लखनऊ दिनांक 28.06.2023 ।

3– इस कार्यालय का पत्रांक–4274/मी0/15 दिनांक 30.06.2023 ।

महोदय,

जनपद–मीरजापुर में निर्माण खण्ड–2 लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर द्वारा चुनार–जंगलमोहाल बड़ागॉव धौहा सम्पर्क मार्ग निर्माण से मीरजापुर वन प्रभाग के चुनार रेंज के अन्तर्गत ग्राम–जंगलमोहाल उत्तरी, तहसील–चुनार में प्रभावित 0.09 हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।(प्रस्ताव संख्या–एफपी0/यू0पी0/अप्रोच/144819/2021)। उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ का पत्रांक– पी–145/81–2–2023–800(171)/2023 दिनांक 27.06. 2023 कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–4069/11–सी,FP/UP/Approach/144819/2021 लखनऊ दिनांक 28.06.2023 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा उसमें उल्लिखित 31 शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है

उक्त शर्तो का अनुपालन करते हुये वांछित धनराशि, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कर सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या टेबुलर फार्म में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये प्रत्येक शर्त के सम्बन्ध में अलग–अलग अनुपालन आख्या/प्रमाण पत्र/अण्डरटेकिंग/चालान की प्रति दिनांक सहित (RTGS/NIFT की रसीद,UTR नम्बर, बैंक का नाम व ब्रांच का पता व दिनांक सहित) 05 प्रतियों में मूल में इस कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करावें।

Sl.	Condition	Status of Complacence
1	Legal status of the Forest land shall remain unchanged.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2	Compensatory afforestation shall be taken up	प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर वन विभाग, मीरजापुर द्वारा मीरजापुर वन

<table>
<tr>
<td></td>
<td>by the Forest Department double Degraded forest land with 10 years maintenance at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monocultures of any species may be avoided. No fast growing trees will be planted.</td>
<td>प्रभाग के चुनार रेंज के ग्राम–बड़ागॉव , मच्छरमारा क0न0–1 में दुगुने अवनत वन भूमि 0.09 हे0 x 2 = 0.18 हे0 या 0.50 हे0 अवनत वन भूमि पर स्थानीय देशी प्रजाति के वृक्षो का मिश्रित वृक्षारोपण करते हुये मोनो कल्चर को टाला जायेगा। तेजी से बढ़ने वाली प्रति नही लगायी जायेगी।
<table>
<tr><th>क्र सं</th><th>रेंज का नाम</th><th>ग्राम का नाम</th><th>बीट का नाम</th><th>क0न0</th><th>अवनत वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>चुनार</td><td>बड़ागॉव</td><td>चुनार</td><td>मच्छरमारा क0न0–1</td><td>0.50</td></tr>
</table>
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 0.50 हे0 अवनत वन भूमि पर वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक प्रॉक्कलित धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) मु0 89,522.00 (नवासी हजार पॉच सौ बाइस रूपये) की वांछित धनराशि कैम्पा मद में ई–पोर्टल के माध्यम से (https://Parivesh .nic.in) उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>The complete compliance of FRA 2006 shall be ensured by the way of prescribed certificate from the concerned District Collactor.</td>
<td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी से निर्धारित प्रमाण पत्र प्राप्तकर पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.</td>
<td>प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर द्वारा संरक्षित क्षेत्रो में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाये जायेगें।</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>The user agency shall provide suitable under/ over pass in Protected Area/ Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/ FAC/ REC.</td>
<td>प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर द्वारा CWLW/NBWL/FAC/REC की सिफारिस के अनुसार संरक्षित क्षेत्रो में/वन क्षेत्रो में उपयुक्त स्थल पर under/ over pass की व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>The User Agency shall obtain Environmental Enviromental (Protection), Act,1986, if applicable.</td>
<td>प्रयोक्ता अभिकरण को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (Environmental Protection Act,1986) के तहत् यदि आवश्यक हो पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government</td>
<td>प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर द्वारा प्रस्तावित परियोजना का लेआउट प्लान भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पूर्व अनुमति के बिना नही बदला जायेगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>No labour camp shall be established on the forest land.</td>
<td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि सड़क निर्माण के दौरान सड़क निर्माण में कार्यरत श्रमिको का वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel</td>
<td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण में कार्यरत श्रमिकों हेतु पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, अन्य वैकल्पिक ईंधन, उ0प्र0 वन निगम या अन्य कानूनी श्रोतो से ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost. As per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.</td>
<td>प्रयोक्ता अभिकरण को प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के निर्देशानुसार गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्तावित वन भूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर समुचित रूप से सीमांकन किया जाय। सर्वे सीमांकन आर0सी0सी0 पीलर का प्रॉक्कलन धनराशि मु0 4986.00 (चार हजार नौ सौ छियासी रूपये मात्र) है। (प्रति संलग्न)।</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for</td>
<td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नही बनाया जायेगा।</td>
</tr>
</table>

	execution of the project work.	
12	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस अनुमोदन के तहत् डायवर्जन की अवधि उपयोगकर्ता एजेंसी या परियोजना के जीवन के पक्ष में लीज की अवधि के साथ सह–टर्मिनस होगी (डायवर्जन की अवधि लीज की अवधि के साथ समाप्त हो जायेगी), जो भी कम हो।
13	The Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित परियोजना के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य/प्रयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग कदापि नही किया जायेगा।
14	The Forest land proposed to be diverted shall under no circumastance be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Govt. of India	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में अन्य किसी भी विभाग, व्यक्ति अथवा संस्था को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पूर्व अनुमति के बिना हस्तान्तरित नही किया जायेगा।
15	The KML file of the area to be diverted the CA areas the proposed SMC work the proposed catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploded on E-Green watch portal with all requisite details before commencement of work.	डायवर्ट किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाइल सी0ए0 क्षेत्र , प्रस्तावित एस0एम0पी0 कार्य, प्रस्तावित कैच मेंट एरिया, ट्रीटमेंट एरिया, WLMP क्षेत्र को कार्य शुरू होने से पहले आवश्यक विवरणो के साथ ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
16	The User Agency and the State Government shall ensure Compliance of all the Court orders provisions Rules regulations and guidlines for the time being in force as applicable to the project.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार मा0 न्यायालय के सभी आदेश, प्राविधानो, नियमो, विनियमो, गाइडलाइन एवं परियोजना पर लागू दिशा निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
17	Project Completion report and Stage-II compliance report shall be submitted within a period of 6 month of completion of project.	परियोजना समापन रिपोर्ट एवं स्टेज–II अनुपालन रिपोर्ट परियोजना के पूरा होने के 06 महिने की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।
18	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (conservation)Act, 1980 and action would be taken as per the Moef & CC Guidline F.No. 11-42/2017-FC date 29-01-2018	सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा तद्नुसार MoEF & CC Guidline F.no. 11-42/2017-FC dt. 29-01-2018 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
19	Any other condition that the Ministry of Enviroment Forest & Climate Change may Stipulate. From time to time in the interest of conservation Protection and developemtent of Forest & Wildlife .	प्रयोक्ता अभिकरण को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा संरक्षण और विकास के लिये समय–समय पर दिये गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
20	प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियो के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नही पहुँचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियो से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचायी जाती है तो उसके लिये सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।	
21	उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जबतक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिये आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथा स्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।	
22	वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओ को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।	
23	प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनबद्धता देनी होगी कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसक भुगतान किया जायेगा।	
24	भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–3/2007,एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या– जे0–11013/41–2006– आई0ए0 –II(I) दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग की कार्य प्रारम्भ करने से	

	पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने यदि लागू है तो (If Applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/ अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टेंडिंग कमेटी आँ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।
25	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
26	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार /राज्य सरकार /मा0 न्यायालयो द्वारा दिये गये निर्देशो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
27	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वर्णित प्रकरण से सम्बन्धित उपरोक्त शर्तो/प्रतिबंधो (Terms & Conditions)के सम्बन्ध में अपनी सत्यापन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
28	प्रस्तावित प्रकरण में आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया जायेगा। वन भूमि लीज पर नही दी जायेगी, परन्तु आरक्षित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
29	प्रस्तावित वन भूमि पर स्थित बाधक वृक्षो का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रकिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग, फेलिंग , लौगिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षो के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक–5–1/2007–एफ0सी0, दिनांक 11.12.2008 में दिये गये निर्देशो के अनुपालन में उल्लिखित है।
30	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्पत्ति प्रचलित व्यवस्था के अधीन शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की देयता के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 06.01.2022 एवं संशोधित आदेश दिनांक 19.01.2022 का अनुपालन निर्गत संशोधित NPV इको क्लास (III) खुला वन हेतु हरियाली घनत्व के अनुसार निर्धारित (NPV) नेट प्रेजेन्ट वैल्यू 9,57,780.00 रू0 प्रति है0 की दर से 9,57,780.00 X 0.09 है0= 86,200.00 (छियासी हजार दो सौ रूपये मात्र) की वांछित धनराशि कैम्पा मद में ई–पोर्टल के माध्यम से (e-portal (https//:parivesh.nic.in) उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।
31	प्रश्नगत सैद्धान्तिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ की रिपोर्ट/ संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपायें जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्व तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगे।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या 4276 अ/समदिनांक

1. प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

सर्वे सीमांकन एवं वन सीमा स्तम्भों की स्थापना कार्य

जनपद–मीरजापुर में निर्माण खण्ड–2 लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर द्वारा चुनार–जंगलमोहाल बड़ागाँव चौहा सम्पर्क मार्ग निर्माण से मीरजापुर वन प्रभाग के चुनार रेंज के अन्तर्गत ग्राम–जंगलमोहाल उत्तरी, तहसील–चुनार में प्रभावित 0.09 हे0 आरक्षित वनभूमि की सीमा परियोजना की लागत पर समुचित रूप से सीमांकन किये जाने हेतु प्रॉक्कलन

कुल वन सीमा सर्वे कार्य – 10.00 किमी0
सीमा स्तम्भ स्थापना हेतु चिन्हांकन –20 सीमा स्तम्भ
इन्डीकेटर स्थापना हेतु चिन्हांकन – 20 इंडिकेटर

क्र0 सं0	कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूची दर
1	सर्वे कार्य	प्र0चैन	500	6.60	3300.00	
2	सीमा स्तम्भ एवं इंडिकेटर स्थापना हेतु चिन्हांकन	प्रति	40	1.48	59.20	
				योग	3359.20	

सीमा स्तम्भ कार्य की स्थापना

क्र0 सं0	कार्य का नाम	संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई /गहराई	कार्य मात्रा	इकाई	दर	धनराशि	पी0डब्लू0डी0 अनुसूची दर
1	नीव का खुदान ,सीमा स्तम्भ स्थापना हेतु पहाड़ी/पथरीला	20	0.50	0.50	0.50	3	घ0मी0	110	275.00	252
2	1:2:4 सीमेन्ट बालू 40एम0एम0पत्थर गिट्टी से कंक्रीटिंग कार्य	20	0.50	0.60	0.60	3.00	घ0मी0	6400	19200.00	262
		20	0.433	0.433	0.50	1.88	घ0मी0	6400	12032.00	262
3	1:2:4 सीमेन्ट बालू 20 एम0एम0 गिट्टी से सीमा स्तम्भ निर्माण	20	0.25	0.25	1	1	घ0मी0	6600	8250.00	283
4	सीमा स्तम्भ हेतु लोहा सरिया का मूल्य	20	0	0	0.15	3	कुन्तल	4500	13500.00	502
5	प्लास्टर कार्य 1:4 सीमेन्ट बालू मसाला से	20x4	0.00	0.25	1.00	20	घ0मी0	128	2560.00	584
		20x1	0.25	0.25	0.00	1.25	घ0मी0	128	160.00	584
6	सीमा स्तम्भ की पुताई सफेद सीमेंट से	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	67	1340.00	662
	इण्डिकेटर	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	50	1000.00	
7	सीमा स्तम्भ में लाल–हरा पेंटिंग एवं सीमा स्तम्भ पर वन विभाग को जी0पी0एस0 मा0 एवं संख्या लिखवाई कार्य	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	50	1000.00	-
8	इण्डिकेटर पत्थर का क्रय मूल्य	20	0.25	0.25	0.70	20	प्रति	825	16500.00	-
9	इण्डिकेटर पत्थर का साइड तक ढुलान कार्य	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	56.60	1132.00	-
10	इण्डिकेटर पत्थर पीलर का सिरबोझ द्वारा साइड से कार्य स्थल तक ढुलान एवं लगाना	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	8.20	164.00	-
11	इण्डिकेटर पत्थर पीलर पर नम्बर डालना	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	4.30	86.00	-
12	अन्य आकस्मिक व्यय					10	प्रतिकिमी	160	1600.00	-
	योग								78798.00	
	(कुल सर्वे तथा सीमा स्तम्भों की स्थापना का योग)								3359.20	
	सम्पूर्ण योग								82158.20	
	या								82000.00	

<u>कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–पी– 202/38–टी–311 लखनऊ दिनांक 16.08.2016 के अनुसार वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित दर प्रति किमी0 धनराशि रु0–8200.00 रुपये</u>

प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि को शामिल करते हुये प्रति किमी0 दर वर्ष 2023–24 के लिये रुपये 15980.00 मात्र (पन्द्रह हजार नौ सौ अस्सी रुपये)
कुल लम्बाई= 0.156 किमी0 x 2= 0.312 किमी0
कुल धनराशि = 0.312 किमी0 x रु0 15980 = 4986.00 (चार हजार नौ सौ छियासी रुपये मात्र)

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर